सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

विज्ञापन संख्या 04/2017

शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 8(3) के तहत इस संस्थान में दिनांक 22-09-2017 को निम्नलिखित ट्रेडों के लिए शिक्षुओं का विनियोजन करने हेतु लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है:

क्रम सं.	ट्रेड	शैक्षणिक योग्यता	विनियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या
1	इलेक्ट्रीशियन	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)	6
2	फिटर		4
3	टर्नर		2
4	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक		4
5	मशीनिस्ट		1
6	आरएसी (RAC)		2
7	कारपेंटर		1
8	शीट मेटल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	1
9	वेल्डर		1
10	पुस्तकालय सहायक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण ।	2
11	प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	3
12	कोपा (COPA)	(1) उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	2
13	गार्डनर (माली)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण ।	5
		कुल	34

उम्मीदवार का एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यवक है अन्यथा उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रशिक्षुओं का चयन न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा/या लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आयु:		शिक्षु के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।

अवधि:		शिक्षुता की अवधि शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार होगी।

वृत्तिका:		शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार।

शिक्षु का विनियोजन शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत पूर्णतया अस्थायी है। इसलिए यह विनियोजन सीएसआईआर – सीरी / सीएसआईआर में किसी पद पर नियमितीकरण / आमेलन के लिए विचारार्थ अन्तर्निहित या स्पष्ट अधिकार / दावा प्रदान नहीं करता।

जो अभ्यर्थी जो साक्षात्कार की तिथि पर पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं वे दिनांक 22.09.2017 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से 11:00 बजे तक संस्थान के सम्मेलन कक्ष में लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.ceeri.res.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जीवन-वृत्त (बायो-डाटा) तथा अपनी शैक्षणिक अर्हताओं, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण का दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के मूल दस्तावेजों व उनकी एक सेट साक्ष्यांकित फोटोप्रतियां अपने साथ लाएं ।

प्रशासन नियन्त्रक